(69)

संख्या- 2058/X-2-2011-19(32)/2002 टी0सी0

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 01 दिसम्बर, 2011**

विषयः- अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष की (एस0सी0एस0पी0) अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत "जनपद उत्तरकाशी में गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत समरोड़-धौला 08 किमी0 एवं हिम-पुजेली 03 किमी0 हल्का मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण" हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव/पत्र संख्या 583/XVII(1)/2009-59 (प्रकोष्ठ)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 एवं तद्क्रम में आपके पत्र संख्या नि-1009/2-36 दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के पत्रांक-1553/3-6 दिनांक 08 मार्च, 2010 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक नि-188/3-14(रा0यो0आ0 मूल्यांकन) दिनांक 03 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष की एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर योजना सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना के अन्तर्गत **"जनपद उत्तरकाशी में गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत समरोड़-धौला 08 किमी0 एवं हिम-पुजेली 03 किमी0 हल्का मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण"** कार्य हेतु टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सीमा ₹154.05 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में **₹1,30,00000/- (₹एक करोड़ तीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आगणन गठित कर उनपर नियमानुसार सक्षम स्तर से तक्नीकी,प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(3) योजना/परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

क्रमशः :2

(7) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(9) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(11) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(12) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-30 (एस0सी0एस0पी0) के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0203-''सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना'' (राज्य सेक्टर) की निम्नलिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क0सं0	मानक मद	बजट प्राविधान	निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति
1	24-वृहत निर्माण कार्य	80000	13000
	योग	**80000**	**13000**

(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ तीस लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-129(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः 3

संख्या-2058 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव